संख्या-16/24/8/76-का-प्रसको/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2014

विषय:-प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात किये जाने वाले संकाय अधिकारियों को प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनांक 12.5.1999, दिनांक 21.8.1999, दिनांक 23.12.2002, दिनांक 6.7.2005 एवं दिनांक 10.6.2011 के क्रम में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि प्रशिक्षण संस्थानों के संवर्गों से भिन्न संवर्गों के ऐसे कार्मिक, जिन्हें प्रशिक्षण संस्थानों में निदेशक, प्रधानाचार्य अथवा संकाय अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है, को तात्कालिक प्रभाव से, उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत के समतुल्य प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किए जाने तथा पूर्व के प्रकरणों को पुनरोद्घाटित न किए जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 12.5.1999 का प्रस्तर-1(1) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

2. प्रशिक्षण भत्ता अनुमन्य कराये जाने के संबंध में शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
5. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-574/दस-2014, दिनांक 19 नवम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-24/8/76(1)-का-प्रसको/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. समस्त वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. इरला चेक अनुभाग/वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र यादव
विशेष कार्याधिकारी

http://Shasanadesh.nic.in